फर्द अहकाम

बनाम जगदीश

नानूराम : _____ / 20

संख्या / वर्ष 427/20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29/5/24	पत्रावली पेश हुई। अपीलकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बहस T-I सुनी। पत्रावली निर्णय हेतु 13/7/2024 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
13/7/24	पत्रावली पेश है। वकील डमापत्र द्वारा बहस T-I सुनी। पत्रावली बाबते आदेश निर्णय 29/7/2024 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
29/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उभय पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, शपथ अस्थायी निषेधाज्ञा, जवाबशपथ का आद्योपान्त अवलोकन करते व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करते पर हकीकत निष्कर्ष पर पहुंचे है कि साबिक ख०न० 489/154 रकबा 2 बिस्वा एवं ख०न० 497/1506 रकबा 2 बीघा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाल ख०न० 915 रकबा 0.48 व 476 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम मुद्दा तहसील सांगानेर दाखिल जमाबन्दी मे अपीलार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसलिए प्रार्थी का प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे नही पाये जाते है अतः प्रार्थी का शपथ बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ता से कार्यवाही तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:04:55 IST
Reason: SelfAttested